| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 27/3/26 | पत्रावली पेश हुई। पश्चात् अपीलेट बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी (रामरतन मोदी) के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मोड़क में ख.नं. 835 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भू-प्रबंध पूर्व गत ख.नं. 694 मिन रहा है। मूल ख.नं. 694 का कुल रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा था, जिसे भू-प्रबंध द्वारा नवीन ख.नं. 831/0.01, 832/0.05, 833/0.85, 835/2.43 व 836/2.43 कुल रकबा 5.77 हैक्टर कायम किया है।<br>प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी सं.1 (किशनगोपाल) के विरुद्ध आराजी ख.नं. 835/2.43 से बेदखल करने व भविष्य में हस्तक्षेप न करने हेतु निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।<br>वादी का कथन है कि व्यापार के कारण अक्सर बाहर रहने का लाभ उठाते हुये प्रतिवादी नं.1 द्वारा उसकी खातेशुदा आराजी ख.नं. 835 2.43 है. भूमि पर जून 2022 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी की अपनी भूमि ख.नं. 828 है, परन्तु वह वादी के ख.नं. 835 पर जबरन काश्त करना चाहता है।<br>दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादी ने पूर्व में भी धारा 88, 183 के तहत वाद प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी नं.1 का मुख्य दावा सम्भवतः कब्जे के आधार पर है, किन्तु राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) वादी के पक्ष में है।<br><br>Chc<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी | |

P.T.O

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| | हमने पत्रावली का अध्ययन-अवलोकन किया, विचारणीय बिन्दु तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई -<br>(1) आया वादी वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजी का खातेदार है तथा उसके कब्जे काश्त में है। (जिम्मे वादी)<br>(2). आया वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करवाकर कब्जा वादी प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे वादी)<br>(3). आया काउन्टर क्लेम की मद नं. 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी ख.नं. 835 रकबा 2.43 हेक्टर में से 1.85 हेक्टर भूमि पर 45-46 वर्षों से काश्तकाल कर अपने पिता मदनलाल के समय से काश्त करता आ रहा है। (जिम्मे प्रतिवादी)<br>(4) आया प्रतिवादी ख.नं. 835 रकबा 2.43 हे. में से 1.85 हे. पर राज० काश्त० अधिनियम के प्रावधान अनुसार 12 वर्ष से अधिक कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी)<br>वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071-74 के अनुसार ख.नं. 835 की 2.43 हे. भूमि पर स्पष्ट रूप से वादी रामरतन माली पुत्र रामनिवास जाति महाजन के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार (भू.अ.) कोटा द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां यह सिद्ध करती है कि राजस्व रिकार्ड में वादी का पक्ष सुदृढ़ है। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस (प्रदर्श. 14) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित भूमि ख.नं. 833, 836, 834 आदि के बीच की मेंड/सीमायें | |

Chg
अधिकारी

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| राजस्व विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से दर्शित/अंकित है। प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा हस्तक्षेप उन आधिकारिक मानचित्र का उल्लंघन है। अतः तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में तय की जाती है।<br>तनकी नं. 3 में प्रतिवादी के पिता स्व. मदनलाल का विवादित भूमि पर कब्जा 27.12.1975 (भू. आवंटन के समय) से ही निरंतर निर्बाध/शांतिपूर्ण चला आ रहा है। वादी द्वारा इन 46 वर्षों के लम्बे कब्जे को कभी भी चुनौती नहीं दी गयी, जिससे प्रतिवादी का अधिकार सीमा अधिनियम एवं काश्त. अधिनियम के सिद्धांतों के तहत सुदृढ़ हो चुका है। नायब तहसीलदार चेयर की मौका रिपोर्ट दिनांक 06/8/2021 में स्पष्ट पाया गया है कि ख. नं. 835 के 1.85 हेक्टर (भू. भाग) पर प्रतिवादी किशनगोपाल का ही कब्जा है। मौके पर पत्थरकोट, प्रतिवादी के कब्जे की पुष्टि करते है। वादी का कब्जा ख. नं. 835 की केवल 0.58 हेक्टर भूमि पर ही पाया गया है। अतः यह तनकी सं. 3 व 4 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।<br>वादी का सम्पूर्ण रकबा 2.43 हे. भूमि पर कब्जे का दावा पूर्णतः मिथ्या और राजस्व रिकार्ड के विपरीत है। भू. प्रबंध विभाग के रिकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि गत ख.नं. 694 व 695 को बंदोबस्त के दौरान सहवन से प्रतिवादी के पिता (मदनलाल) के आवंटन की भूमि को वादी के खाते में दर्ज कर दिया गया था चूंकि प्रतिवादी के पिता ने 46 वर्ष पूर्व ही इस बंजड़ भूमि को काश्त योग्य बनाया। | P.T.O. |

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

अतः धारा 88, 89 के तहत प्रतिवादी उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

यह भी तथ्य लाया गया है कि जब प्रतिवादी अपनी बीमारी के इलाज के लिये इंदौर गया था तभी अनुपस्थिति का लाभ लेते हुए वादी द्वारा दिनांक 14.7.2021 को जे.सी.बी. मशीन लगाकर प्रतिवादी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया।

तहसीलदार के पत्र दिनांक 03/2/2026 के माध्यम से प्राप्त पटवारी रिपोर्ट के अनुसार - ख.नं. 835 के 1.62 हेक्टेयर भाग पर (उत्तरी दिशा में) प्रतिवादी क्र.1 किशनगोपाल का कब्जा काश्त होना पाया गया। प्रपत्र-4 (फर्दबंदी) अनुसार प्रतिवादी किशनगोपाल के खाते की भूमि ख.नं. 828 रकबा 1.62 हे. भूमि पर किसी का भी कब्जा नहीं पाया गया। भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है।

वादी व प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण के शांतिपूर्ण निस्तारण हेतु "राजीनामा" पेश किया गया है। जिसकी पुष्टि पटवारी रिपोर्ट में भी की गयी है। मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि के 1.62 हेक्टेयर पर है जबकि, प्रतिवादी की स्वयं के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 828 रकबा 1.62 हे. मौके पर खाली है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 02/2/2026 उभय पक्षों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती है। राजीनामे के आधार पर वादी और प्रतिवादी के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत है ताकि भविष्य में कोई वैमनस्य नहीं रहे।<br><br>अतः उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं तहसीलदार चेयर की रिपोर्ट दिनांक 3/2/2026 के अनुसार में निम्नानुसार आदेश किये जाते हैं।<br>. वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है।<br>. उभय पक्ष अपनी-अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहेंगे (रिकॉर्ड अनुसार)।<br>प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वह ख.नं. 835 में वादी के हक व हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।<br>तहसीलदार चेयर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष अपनी अपनी सहमति के अनुसार खातों का विनिमय या विभाजन चाहते हो, तो नियमानुसार पृथक कार्यवाही अमल में लायी जावे।<br>उपरोक्तानुसार राजीनामे के आधार पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी जे. कम. दाखिल दफ्तर की जावे।<br>निर्णय आज दिनांक 27/3/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>Che<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी IAS.<br><br>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) | |